रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2010/फाल्गुन 27, 1931

No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2010/PHALGUNA 27, 1931

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2010

सा.का.नि. 196(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 में नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. **वेतन** : अध्यक्ष प्रतिमास तीन लाख रुपए का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा तथा पूर्ण-कालिक सदस्य प्रतिमास दो लाख पचास हजार रुपए का वेतन प्राप्त करेगा, जो सरकारी आवास तथा स्टाफ कार के बिना होगा :

परन्तु यह कि जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां वह, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यथा अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. **महंगाई भत्ता** : जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है वहां वह, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।";

4. उक्त नियमों में नियम 9 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "समतुल्य वेतन" शब्दों के स्थान पर, "80,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन" शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में,—

(i) "और सचिवों की अनुवीक्षण समिति" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) परंतुक में, "ऐसे आदेशों के जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह "क" के अधिकारी को लागू होती है, समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आर्थिक अनुदेशों या अन्य अनुदेशों के अनुरूप होंगे" शब्दों के स्थान पर ऐसे आदेशों के जो केन्द्रीय सरकार के "80,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले समूह "क" के अधिकारी को लागू होती है" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

5. उक्त नियमों के नियम ... में "समतुल्य वेतन" शब्दों के स्थान पर, "80,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन" शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11. आवास :—जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, वहां वह ऐसे आवास के लिए हकदार होगा जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय है।"

7. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12 परिवहन :—जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां वह ऐसी परिवहन सुविधा का हकदार होगा जो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय है।"

8. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"14. टेलीफोन सुविधा : अध्यक्ष तथा पूर्ण-कालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार के ऐसे समूह "क" अधिकारी, जो 80,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन ले रहा हो, को यथा अनुज्ञेय टेलीफोन सुविधा के हकदार होंगे:

परंतु यह कि जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां वह उसी टेलीफोन सुविधा का हकदार होगा जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय है।"

9. उक्त नियमों के नियम 15 में,—

(क) "समतुल्य वेतन" शब्दों के स्थान पर, "80,000 रुपए (नियत) के वेतनमान में वेतन" शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां अध्यक्ष की सेवा की अन्य ऐसी शर्तें, जिनके संबंध में, इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी, जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को लागू है।"

[फा. सं. 25/1/2009-आर एंड आर]

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 177(अ), तारीख 8 मार्च, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2010

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"**4. Pay.**—The Chairperson shall be entitled to receive a pay of rupees three lakhs per mensem and the full-time Members shall receive a pay of rupees two lakh fifty thousand per mensem, without facility of Government Accommodation and Staff Car :

Provided that where the Chairperson has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court, he shall be entitled to receive pay as admissible to a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court, as the case may be.".

3. For rule 5 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"**5. Dearness allowance.**— Where the Chairperson is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court, he shall be entitled to receive dearness allowance at the rate admissible to a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court, as the case may be. ".

4. In rule 9 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), for the words "an equivalent pay", the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs. 80,000 (fixed)" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), —

(i) the words "and of the Screening Committee of the Secretaries" shall be omitted;

(ii) in the proviso, for the words "an equivalent pay and as per the economy instructions or other instructions issued by the Ministry of Finance from time to time.", the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs. 80,000 (fixed)." shall be substituted;

5. In rule 10 of the said rules, for the words "an equivalent pay", the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs. 80,000 (fixed)" shall be substituted.

6. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**11. Accommodation.**—Where the Chairperson has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, he shall be entitled to accommodation as is admissible to a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, as the case may be.".

7. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"**12. Transport.**—Where the Chairperson has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, he shall be entitled to transport facility as is admissible to a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, as the case may be.".

8. For rule 14, the following rule shall be substituted, namely :—

"**14. Telephone facility.**—The Chairperson and a full-time Member shall be eligible for telephone facility as admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing pay in the pay scale of Rs. 80,000 (fixed):

Provided that where the Chairperson has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, he shall be entitled to Telephone facility as admissible to a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, as the case may be.".

9. In rule 15 of the said rules,—

(a) for the words "an equivalent pay", the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs. 80,000 (fixed)" shall be substituted;

(b) at the end, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where the Chairperson has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, the other conditions of service of the Chairperson, with respect to which no express provision has been made in these rules shall be as applicable to a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, as the case may be.".

[F. No. 25/1/2009-R&R]

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.

Foot Note:— The principal rules were published *vide* number G.S.R. 177(E), dated the 8th March, 2004.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.